10 Chairman for information pl.

(1)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F42735/सी-५/एन० ओ० सी०-४६१/०8 दिनांक 07-1-09

सेवा में,

मे0 श्री बी० पी० सिंघल,
मै० इर्लिया रेजीडेन्शियल काम्पलेक्स,
एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
प्रगति केन्द्र कपूरथला, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : ~~पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से / नई इकाई की स्थापना हेतु / कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार / संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन~~

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ के प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक १९/५/०८ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : मै० इर्लिया रेजीडेन्शियल काम्पलेक्स,
मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड,
लखनऊ

(ख) उत्पादन : – ३०९५५.९ वर्गमीटर क्षेत्रफल पर ३४२ नग रेजीडेन्शियल प्लाट का निर्माण किया जायेगा।

(घ) घरेलू औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : २७० किलो लीटर प्रतिदिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन : डीजल, ३०० के०वी०ए०डी०जी० सेट हेतु

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. घरेलू उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

(2)

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ....२७० किलो लीटर प्रतिदिन........ से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावित सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ....२०/२/०९........ तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७ प्रस्तावित स्थल पर रेजीडेन्शियल काम्लेक्स का निर्माण नियमानुसार कुल बिल्टअप क्षेत्रफल से अधिक नही होगा।

८ रेजीडेन्शियल कामलेक्स मे भू-जल से आपूर्ति हेतु संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

९ रेजीडेन्शियल काम्प्लेक्स से जनित होने वाले म्युनिसिपल सालिड वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु विस्तृत प्रस्ताव एवं पूर्ण विवरण तीन माह मे बोर्ड मे जमा करेंगे।

१० रेजीडेन्शियल काम्लेक्स से जनित होने वाले २७० कि०ली० प्रतिदिन सीवेज के शुद्धीकरण हेतु प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का पूर्ण विवरण तीन माह मे बोर्ड मे जमा करेगे।

११ रेजीडेन्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य सक्षम अधिकारी से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।

१२ रेजीडेन्शियल काम्प्लेक्स मे प्रस्तावानुसार एस०टी०पी० का निर्माण डिशइनफेक्शन यूनिट के साथ सीवेज जनित होने के पूर्व करें तथा यथासम्भव शुद्धीकृत उत्प्रवाह का प्रस्तावनुसार ग्रीनबेल्ट एवं गार्डनिंग हेतु प्रयोग करें ।

१३ रेजीडेन्शिल काम्लेक्स मे शुद्धीकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी०सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग विद्युत मीटर स्थापित करें ।

१४ सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियमानुसार किया जाये तथा बायोडिग्रेडेबुल वेस्ट के लिए वर्मीकल्चर किया जाये ।

१५ समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ बोर्ड मानकों के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित करें ।

१६ रेजीडेन्शियल काम्प्लेक्स मे नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें ।

१७ रेजीडेन्शियल काम्लेक्स मे नियमुनसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल क्षेत्रफल का हरित पटिटका के रूप मे विकसीत करें।

१८ रेजीडेन्शिल काम्प्लेक्स का पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्यांकन २००६ संबंधी अधिसूचना दिनांक १४-९-०६ के अन्तर्गत संबंधित से नियमानुसार क्लीयरेन्स प्राप्त करे। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, १९७४ एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है ।

१९ स्थल पर निर्माण कार्य से जनित होने वाले धूल आदि प्रदूषणकारी वायु उत्सर्जकों के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

२० ट्रैफिक लोड/पार्किंग नियंत्रण हेतु यातायात पुलिस से वांछित स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।

२१ भूखण्ड मे निर्मित भवनों मे सोलर इनर्जी एवं प्रकाश की व्यवस्था हेतु यथा सम्भव सोलर लाइट के प्रविधान किया जाये ।

२२ फर्म द्वारा प्रोजेक्ट का डी०पी०आर० एवं सत्यापित मानचित्र की छाया प्रति दो माह के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

कृपया उपरोक्त अंकित शर्तो में क्रम संख्या ७,८,९,१० एवं ११ पर अंकित शर्ते संवेदनशील श्रेणी की है । उक्त का अनुपालन निर्धारित समयावधि में कराये जाने के उद्देश्य से रूपये दस लाख की बैंकगारन्टी वांछित है, कृपया संलग्न बैंकगारन्टी प्रारूप में उपरोक्त अंकित शर्ते यथोचित स्थान पर अंकित कराके एक माह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा बैंक गारन्टी की वैधता अवधि न्यूनतम दो वर्ष होनी चाहिए अन्यथा यह अनापत्ति प्रमाण रिवोक किया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ....२०/३/०९.................... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :......... सचिव विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित ....

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :............ लखनऊ ....

4. ....
....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल– ५)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

[illegible] / [illegible] / [illegible]

[illegible] 133/AA/M.A.P.-1/08

दिनांक 11-04-2008

1- [illegible] ट्रस्ट की किसी योजना मे नहीं है।

[illegible] मेसर्स शाल्डेको हाउसिंग

[illegible] खसरा सं० 58, 59, 60, 61, 83, 84, 85/1, 85/2 मोहिबुल्लापुर - लखनऊ

[illegible] क्षेत्रफल = 29880.32 वर्गमीटर

2- [illegible] .... X ....

3- [illegible] .... X ....

[illegible] .... X ....

4- [illegible] .... X ....

5- [illegible] .... X ....

6- [illegible] .... X ....

7- [illegible] .... X ....

8- [illegible] .... X ....

9- [illegible] .... X ....

10- [illegible] .... X ....

[illegible] .... सूचना पत्र

[illegible] 117/18 ....

दिनांक 16/7/08

नोट:- [illegible]

[illegible] 18/05/08

24-5-2008

[illegible] 26/5/08

[illegible] संयुक्त सचिव [illegible] 24/5/08

5

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ।

पत्रांक:(पं.डी) टी0आर0/एसटी/08

दिनांक:अगस्त 21, 2008

सहायक अभियंता,
मानचित्र–सेल–1,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 133/एए/एमएपी–1/08, दिनांक 01.03.2008 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मेसर्स एल्डिको हाउसिंग के खसरा संख्या 58,59,60,61,83,84, 85/1, 85/2 महिबुल्लापुर रोड, लखनऊ के भवन मानचित्र पर एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार से जॉच कराई गई। जॉच आख्या मूल रूप में संलग्न है। तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 10.07.2008 के परिप्रेक्ष्य में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों व विधि द्वारा प्रचलित नियमों के दृष्टिगत तथा धारा 132(6) ज0वि0 व भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम मोहिबुल्लापुर स्थित चक मार्ग आराजी गाटा संख्या 86 रकबा 0.073 हे0 में से रकबा 0.0504 हे0 भूमि प्रस्तावित आवासीय योजना के अन्तर्गत आ रही है, इस भूमि के सम्यक व्यवस्थापन की शर्त के साथ ही मानचित्र स्वीकृत किया जाना सुसगंत होगा।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

(उमेश नारायण पाण्डेय)
उप जिलाधिकारी, सदर,
लखनऊ।

5

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

पत्र सं0: प-1380/एफ0एस0-09 दिनांकः अक्टूबर 26, 2016

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता, मानचित्र सेल-टी0जी0
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषयः- खसरा संख्याः 58, 59, 60, 61, 83 ,84, 85/1 व 85/2 महिबुल्लापुर सीतापुर रोड लखनऊ पर स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समूह आवास निर्माण सम्बन्धी **ब्लाक डी0** भवन को प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र संख्याः एनआर-255/एए-मा0सेल दिनांकः 09.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करे जो उपरोक्त विषयक है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 25-12-2009 के द्वारा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है पुनः प्रस्तुत संशोधित मानचित्र **(ब्लाक-डी)** का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0 द्वारा निरीक्षण/ परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

भवन की संरचनाः-

1- कुल प्लाट एरिया-	26692.14 वर्ग मीटर
2- निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-	942.24 वर्ग मीटर
3- प्रथम तल से 9वे तल तक प्रत्येक का कवर्ड	907.88 वर्ग मीटर
4- दसवे तल का कवर्ड एरिया-	489.42 वर्ग मीटर

5- भवन की ऊंचाई 33.4 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणीः- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढ़ाचागत व्यवस्थाः-

1-पहुँच मार्गः- भूखण्ड के समाने मानचित्र में 76 मीटर रोड की चौडाई है।

2- प्रवेश द्वार की चौडाईः- 06.00 मी0 मीटर जो मानक के अनुरूप है।

3-सेटबैकः-

- भवन के अग्रभाग- 13.00 मीटर
- पृष्ठ भाग- 13.00 मीटर
- पार्श्व भाग प्रथम- 13.00 मीटर
- पार्श्व भाग द्वितीय 13.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार मानचित्र में प्रदर्शित है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगे सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा।

4- निकास मार्गः- प्रस्तावित भवन में 04 स्टेयर केस 1.50 मीटर चौडाई के प्रदर्शित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5- रिफ्यूज एरियाः- आवश्यक नही है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः- एन0बी0सी0-2005 के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थायें की जानी अनिवार्य हैः-

1- भूमिगत टैंकः- आवश्यक नही है।

2- पम्पः- आवश्यक नही है।

3- होजरील : प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व, आई0एस0-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित एवं प्रदर्शित है।

4- वेटराइजर :- प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-05 के मानको के अनुरूप प्राविधानित एवं प्रदर्शित है।

5- सम्पूर्ण भवन परिसर में होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0 एस0-13039:1991 के अनुसार प्रस्तावित है।

6- हस्तचालित इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :- प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार मानचित्र में प्राविधानित है।

7- स्वचालित डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम :- भवन में आवश्यक नही।

8- स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- आवश्यक नही है।

9- टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन के टेरिस पर टैरिस टैंक 25000 लीटर क्षमता का स्थापित किया जाना आवश्यक है।

10- टेरिस पम्प:- प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास 900 लीटर प्रति मिनट क्षमता का टेरेस पम्प का स्थापित किया जाना आवश्यक है।

11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूसर आईएस 2190-2010 के अनुसार मानचित्र में प्राविधान है।

12- स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:- आवश्यक नही है।

13- प्रेशराइजेशन प्रणाली-

1- कोरीडोर, स्टेयर केस, लावीज आदि स्थानों पर प्रेशराइजेशन की गई है व परियुक्त होने वाले फैन की डक्टिंग इत्यादि है।

2- प्रेशराइजेशन सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम से इण्टरलिंक है जो एन0बी0सी0 के मानक के अनुरूप है।

14- एग्जिट साइनेज:- सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साईनेट प्राविधानित किये जाने होगे।

15- पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित है।

16- प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाइटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लिखित के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

17- भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली, फायर लिफ्ट, स्टेयर केसों व काडीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर खसरा संख्याः 58, 59, 60, 61, 83 ,84, 85/1 व 85/2 महिबुल्लापुर सीतापुर रोड लखनऊ पर स्वीकत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत समूह आवास निर्माण सम्बन्धी **ब्लाक डी0** भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया- 2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोंपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

<u>संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।</u>

26.10.2016

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- अग्निशमन अधिकारी, बी0के0टी0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 खसरा संख्याः 58, 59, 60, 61, 83 ,84, 85/1 व 85/2 महिबुल्लापुर सीतापुर रोड लखनऊ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

सुरक्षा सहित सेवा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/NOC/2009/442-A/ 326-328 *BY REGD. POST* Dated:- 29-02-2010

The Vice President (Mktg.)
M/s Eldeco Housing & Industries Ltd.,
First Floor, Pragati Kendra,
Kapoorthala, Aliganj,
Lucknow.226024.

SUBJECT:- NO OBJECTION CERTIFICATE - (FOR HEIGHT CLEARANCE ONLY)

Sir,

Please refer to APD letter no AAI/LK/OP-18(11-2009)/3044-45 dated 09-12-2009 on the subject mentioned above.

This office has no objection to the construction of the proposed **Group Housing Building** by **M/s Eldeco Housing & Industries Ltd.** herein after reffered to as the applicant(s) at location **Mohibullapur, Sitapur Road, Lucknow (Co-ordinates- 26 55 04N 80 56 10 E)** for a height of ***53.15 Mts.*** (In figure **Fifty three Decimal one five Meters** (in words) above ground level so that the top of the proposed structure when erected shall not exceed **115.00 Mts.** (site elevation) plus(+) ***53.15 Mts.*** (height of structure)= **168.15 Mts.** above mean sea level

This no objection certificate is being issued on the express understanding that the site elevation (height above mean sea level) viz **115.00 Mts.** relative location of the proposed building/structure & its distances and bearings from ARP/ Runway ends, as tendered by the applicant(s) are correct. If, however, at any stage it is established that the said data as tendered & which could adversely effect aircraft operations, the structure or part(s) thereof in respect of which this 'No Objection Certificate' is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India. The Applicant(s) are therefore advised in his /their own interest to verify the elevation and other data furnished for the site, before embarking on the proposed construction.

The issue of this 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act. 1934 and those of any notifications issued there under from time to time and under which also the applicant may be called upon by the Airports Authority of India (National Airports Division) to demolish in whole or in part the structure now being authorized vide this 'No Objection Certificate'.

The use of electric fire or oil fired furnace is obligatory.

This certificate is valid for a period of **five years** from the date of issue. If the building /structure /chimney is not constructed & completed within the above mentioned period of **five years**, you will be required to obtain a fresh 'No Objection Certificate' from the Airports Authority of India/National Airports Division) and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region. The date of completion of the building/ structure/chimney should be intimated to the Airports Authority of India and/or the General Manager, Aerodromes, Northern Region.

No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO Standard.

"The permissible top elevation/height includes height for superstructures(eg. Wireless, TV antennas, mumties, lift machine room, overhead water tank cooling towers etc.)"

(A.K. DHUPAR) 27.04.10
JT. GENERAL MANAGER (Ops)
NORTHERN REGION

Copy to:- 1. The Chairman, Airports Authority of India, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, N.D.
2. The Airport Director, Airports Authority of India, C.A. Lucknow.

FOR GENERAL MANAGER (AERO)
NORTHERN REGION

8

लखनऊ जल संस्थान

अलीगंज डिसप्ले सेन्टर, ओवर हेड टैंक के नीचे, सेक्टर–बी, अलीगंज, लखनऊ

प्रेषक, अधिशासी अभियन्ता, जोंन–3 सेक्टर–बी, अलीगज, लखनऊ संख्या दिनॉक	सेवा में, अधिशासी अभियन्ता, भवन लखनऊ विकास प्रधिकरण लखनऊ।

बिषयः– अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 133/ए0ए0बी0–3/सी/एन0ओ0सी0 दिनांक 10/04/2007 के सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ मै0 इल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड खसरा नं0 58,59,60,61,83,84,85/1 व 85/2 मोहिबुल्लापुर सीतापुर रोड लखनऊ द्वारा प्रस्तावित मानचित साथ में प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर विकास शुल्क की गणना की गयी जो रू0 694078/–मात्र आती है उक्त धनराशि उपभोक्ता द्वारा लखनऊ जल संस्थान में चेक द्वारा रू0 694078/– चेक सं0 272368 पंजाब नैशनल बैंक लखनऊ द्वारा दिनांक 25/07/2008 द्वारा जमा करा दी गयी है।

अतः लखनऊ जल संस्थान जोन–3 द्वारा अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
जोन–3 अलीगंज,
जल संस्थान,लखनऊ

पत्रॉकः 257/2JS-3/A-61 दिनॉकः 29-7-08

प्रतिलिपिः–

1– मै0 इल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड खसरा नं0 58,59,60,61,83,84,85/1 व 85/2 मोहिबुल्लापुर सीतापुर रोड लखनऊ को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता, जोन–3

1050

9

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways Govt of India)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, लखनऊ
Project Implementation Unit Lucknow
1/73 जी, विनीत खण्ड गोमती नगर, लखनऊ-226010
1/73-G, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

दूरभाष / Phone : 91-522-2726167
2726403
टेलीफैक्स / Fax : 91-522-2726402
ई-मेल / E-mail : luc@nhai.org
वेबसाइट / Website : www.nhai.org

NHAI/PIU/22/NH-24/2009/ 1401 dt. 15.10.2009

To,

M/S ELDECO HOUSING & INDUSTRIES LTD.
IInd Floor, Eldeco Corporate Chamber-I,
Opp. Mandi Parishad,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010

Sub: **Four Laning from 488.270 to 413.200 of Lucknow – Sitapur Section of NH-24 in the UP state.**
-NOC for project coming up on Plot No. 58,59,60,61,83,84,85/1 & 85/2 of Village Mohibullapur, Sitapur Road, Lucknow

Ref: Your letter no. PL/GM/184 Dt. 03.10.2009 and PL/GM/184/131 Dt. 13.10.2009

Sir,

With reference to your above letters, the plan submitted has been reviewed. It has come out that:

a) No direct entry or exit from the NHAI road is proposed.
b) All the drainage has been taken towards the back of the project
c) Building line is proposed at a distance of 53 m from the centre line of the NH-24 road.

It has also been noticed that the khasara nos. 58,59,60 of your project are under partial acquisition for the NH24 road to the extent of area falling within 22.5 m from the centre line of the existing NH 24road. Accordingly, this letter is issued as an NOC of the said project with following conditions,

1) ROW of 22.5 m will have to be made available to NHAI immediately.
2) No changes in the drainage plan would be allowed such that no drainage water should come on to the NH road and its drain.

Accordingly, a plan drawing as submitted by you is hereby enclosed duly countersigned for perusal and record.

Encl: As above

General Manager and
Project Director